Regd. with Registrar of News Papers of India of PUN BIL 2002/07848: Postal Reg.No.GDP-41/2023-2025

मासिक अन्सारुल्लाह क़ादियान

मजिल्स अन्सारुल्लाह भारत का तर्जुमान

सितम्बर /2023 ई

MONTHLY QADIAN

ANSARULLAH

Magazine of Majlis Ansarullah Bharat

SEPTEMBER/2023

Date of Publication:01-09-2023

Chairman: Ataul Mujeeb Lone | Editor: Hafiz Syed Rasool Niyaz, Mob: 9876332272 | Manager: Tahir Ahmad Beig, Mob: 9915223313
Annual Subscription: Rs: 250/- | Per Issue: Rs: 25/- | Weight: 50-100 grams/Issue

6-8-2023 को मूसा बनी माइंस में आयोजित वार्षिक इज्तिमा मज्लिस अंसारुल्लाह ज़िला ईस्ट सिंघ्बुम (झारखंड) बाद एक ग्रुप फ़ोटो।

6-8-2023 को मूसा बनी माइंस में आयोजित वार्षिक इज्तिमा मज्लिस अंसारुल्लाह ज़िला ईस्ट सिंघ्बुम (झारखंड) के स्टेज का एक दृश्य।

06-08-2023 को सालिह नगर में आयोजित वार्षिक इज्तिमा मज्लिस अंसारुल्लाह ज़िला आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा (उत्तर प्रदेश) के अवसर पर मुक़ाबिला म्यूजिकल चेयर का एक दृश्य।

06-08-2023 को सालिह नगर में आयोजित वार्षिक इज्तिमा मज्लिस अंसारुल्लाह ज़िला आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा (उत्तर प्रदेश) के स्टेज का एक दृश्य

10-7-2023 को एक सरकारी अधिकारी को लीफ़्लेट वितरण करते हुए मज्लिस अंसारुल्लाह केरला के अंसार ।

21-7-2023 को अंदोरा में आयोजित मज्लिस अंसारुल्लाह ज़िला अनंतनाग (कश्मीर) का एक रोज़ा तरबियती कैंप के बाद एक ग्रुप फ़ोटो।

06-08-2023 को मुसाबनी माइंस में आयोजित वार्षिक इज्तिमा मज्लिस अंसारुल्लाह ज़िला ईस्ट सिंघ्बुम (झारखंड) के अवसर पर निशाना गुलेल के मुक़ाबिले का एक दृश्य ।

27-11-2022 को आयोजित Elder's Meet के अवसर पर खेलों के मुक़ाबिले का एक दृश्य।

16-7-2023 को आयोजित वार्षिक इज्तिमा मज्लिस अंसारुल्लाह ज़िला जमशेदपुर (झारखंड) के बाद ली गयी एक ग्रुप फ़ोटो।

23-07-2023 को आयोजित वार्षिक इज्तिमा मज्लिस अंसारुल्लाह मोगराल (ज़िला कासरगोड, केरला) के स्टेज का एक दृश्य।

निगरान
अताउल मुजीब लोन

सम्पादक
सय्यद रसूल नियाज़

उप-सम्पादक (हिन्दी)
डाक्टर अब्दुल माजिद
09915279005

मैनेजर
ताहिर अहमद बेग
Ph. +91 99152 23313

प्रेस
फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस
क़ादियान
वार्षिक मूल्य : 250 ₹
विदेश : 50 अमरीकी डॉलर

प्रकाशन स्थान
ऐवाने अन्सार, भारत
क़ादियान - 143516
ज़िला : गुरदासपुर, पंजाब
फोन : 01872-220186
फैक्स : 01872-224186

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا کُوۡنُوۡۤا اَنۡصَارَ اللّٰہِ
سورۃ الصّفّ آیت ۱۵

मज्लिस अन्सारुल्लाह भारत का प्रवक्ता

मासिक पत्रिका

अन्सारुल्लाह

क़ादियान

Volume - 21 सितंबर 2023 **Issue - 08**

विषय सुचि	पृष्ठ
दर्सुल क़ुर्आन	2
दर्सुल हदीस	2
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के उपदेश	3
सम्पादकीय : जमाअत अहमदिया पर कुफ़्र का फतवा लगाए जाने की वास्तविकता	4
निवेदन - सदर मज्लिस अंसारुल्लाह भारत भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से न्याय की पहल	6
लेख : फ़तवा कुफ़्र की हक़ीक़त क़ुरआन व हदीस की रोशनी में	8

Printed & Published by Shoaib Ahmad M.A. and owned by Majlis Ansarullah Bharat Qadian and Printed at Fazle Umar Printing Press, Harchowal Road, Qadian Distt. Gurdaspur 143516, Punjab, INDIA and Published at Office Majlis Ansarullah Bharat, P.o. Qadian, Distt. Gurdaspur 143516 Punjab India. Editor Syed Rasool Niyaz

قرآن کریم

दर्सुल क़ुर्आन

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ
لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۗ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۔ (النساء ۹۵)

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो! जब तुम अल्लाह के मार्ग में यात्रा कर रहे हो तो भली-भाँति छान बीन कर लिया करो और जो तुम पर सलाम भेजे उससे यह न कहा करो कि तू मोमिन नहीं है। तुम सांसारिक जीवन के धन चाहते हो अल्लाह के पास ग़नीमत के बहुत सामान हैं। इससे पूर्व तुम इसी प्रकार हुआ करते थे फिर अल्लाह ने तुम पर दया की। अत: भली-भाँति छान बीन कर लिया करो। निस्सन्देह अल्लाह जो तुम करते हो उससे बहुत अवगत है।

दर्सुल हदीस

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَرْمِي
رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ
كَذٰلِكَ ۔ (صحیح بخاری ۔ حدیث نمبر ۶۰۴۵)

अनुवाद - अबू ज़र ग़फ़्फ़ारी[रज़ि] ने वर्णन किया कि उन्होने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदि कोई व्यक्ति किसी को काफिर या फ़ासिक कहता है और वह वास्तव में काफिर या फ़ासिक नहीं है, तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति काफिर और फ़ासिक बन जाएगा।

★ ★ ★

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दिव्य उपदेश

मियाँ नज़ीर हुसैन साहिब देहलवी हालाँकि स्वयं भी क़ुफ्र के फ़त्वों से बचे हुए नहीं हैं और यों भी हिन्दुस्तान में सर्वप्रथम काफ़िर वही ठहराए गये हैं फिर भी उनको दूसरे मुसलमानों को काफ़िर बनाने का इतना जोश है कि जैसे सदात्मा लोगों को मुसलमान बनाने का शौक़ होता है। वे इस बात के बड़े इच्छुक होते हैं कि किसी मुसलमान पर अकारण क़ुफ्र का फ़त्वा लग जाए चाहे क़ुफ्र का एक भी कारण न पाया जाए और उनके आज्ञाकारी शिष्य मियाँ मुहम्मद हुसैन बटालवी जो शेख़ कहलाते हैं उन्ही के पद् चिन्हों पर चले हैं बल्कि शेख़ जी तो कुछ अधिक जोश और फ़त्वा देने की रुचि में अपने गुरू से भी कुछ बढ़-चढ़ कर हैं। इन दोनों गुरू-शिष्य की धारणा यह ज्ञात होती है कि अगर निन्यानवे कारण ईमान के खुले-खुले उनकी दृष्टि में पाए जाएँ और एक ईमानी कारण उनको अपनी संकीर्णता के कारण समझ में न आए तो फिर भी ऐसे आदमी को काफ़िर कहना ठीक है। अत: इस विनीत के साथ भी उन साहिबों ने ऐसा ही व्यवहार किया। जो व्यक्ति इस विनीत रचनाएँ **बराहीनेअहमदिया और सुर्मा-चश्म आर्य:** इत्यादि को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा उस पर पूर्णत: स्पष्ट हो जायेगा कि विनीत किस निष्ठा के साथ इस्लाम धर्म का सेवक है और **हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम** की महानताओं को फैलाने में कितना लीन है, परन्तु फिर भी मियाँ नज़ीर हुसैन साहिब और उनके शिष्य बटालवी ने सब्र न किया जब तक इस विनीत को काफ़िर न ठहरा दिया। मियाँ नज़ीर हुसैन साहिब की दशा बहुत ही खेदजनक है कि इस बुढ़ापे में कि क़ब्र में पैर लटका रहे हैं फिर भी अपने अंजाम की कुछ परवाह न की और इस विनीत को क़ाफिर ठहराने के लिए ईमानदारी और तक़्वा (संयम) को पूर्णतया हाथ जोड़ दिया और मौत के किनारे तक पहुँच कर अपनी मानसिकता का बहुत ही बुरा नमूना दिखाया। ख़ुदा से डरने वाले, धार्मिक और परहेज़गार विद्वानों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जब तक उनके हाथ में किसी के काफ़िर ठहराने के लिए ऐसे ठीक-ठीक पूर्णत: सच्चे प्रमाण न हों कि जिन बातों के आधार पर उस पर क़ुफ्र का दोष लगाया जाता है और क़ुफ्र के इल्ज़ाम को सिद्ध करने वाली उन बातों को वह स्वयं अपने मुँह से स्पष्ट तौर पर स्वीकार करें, अपितु इन्कार न करे, तब तक ऐसे व्यक्ति को काफ़िर बनाने में जल्दी न करें, परन्तु देखना चाहिए कि मियाँ नज़ीर हुसैन इसी तक़्वा के मार्ग पर चले हैं या दूसरी और क़दम मारा है। अतएव स्पष्ट हो कि मियाँ नज़ीर हुसैन ने तक़्वा और ईमानदारी की राह को पूर्णतया छोड़ दिया है। **मैंने** दिल्ली में तीन घोषणापत्र दिए और अपने घोषणापत्रों में बार-बार स्पष्ट किया कि मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम की आस्था रखता हूँ अपितु मैंने अल्लाह तआला की सौगन्ध खाकर संदेश पहुँचाया है कि मेरे किसी लेख या भाषण में कोई ऐसी बात नहीं है जो इस्लाम की आस्था के विरुद्ध हो, हम 'अल्लाह की शरण चाहते हैं, आपत्तिकर्ताओं की अपनी ही ग़लतफ़हमी है बल्कि मैं इस्लाम के सारे अकीदों पर दिलोजान से ईमान रखता हूँ और इस्लामी अक़ीदा के विरोध से विमुख हूँ। परन्तु हज़रत मियाँ नज़ीर हुसैन साहिब ने मेरी बातों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया और बिना इसके कि कुछ जाँच-पड़ताल और पूछताछ करते, मुझे काफ़िर ठहराया। बल्कि मेरी ओर से मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, के बहुत से स्पष्ट इक़रार भी सुनकर फिर भी तू मोमिन नहीं है कह दिया और बार-बार अपने लेखों, भाषणों और अपने चेलों के अख़बारों में इस विनीत का नाम काफ़िर और विधर्मी और दज्जाल रखा चारों और फैलाया कि यह व्यक्ति काफ़िर और बेईमान और ख़ुदा और रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से विमुख हैं। इसलिए मियां साहिब की इन बातों से बहुत से लोगों में मुख़लिफ़त का एक तेज़ तूफ़ान पैदा हो गया और हिन्दुस्तान और पंजाब के लोग एक फ़ितने में पड़ गए, विशेषकर दिल्ली वाले मियाँ साहिब की इस चिन्गारी से आग बबूला हो गए। संभवत: दिल्ली में साठ या सत्तर हज़ार के लगभग मुसलमान होगा लेकिन उनमें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस विनीत के बारे में गालियों, लानतों और ठट्ठों के करने या सुनने में सम्मिलित न हुआ हो। यह सारा जमाबड़ा मियाँ साहिब के ही कारनामा से हुआ है जिसको उन्होंने अपनी उम्र के अन्तिम दिनों में अपने अंजाम के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने सच्ची गवाही छुपाकर लाखों दिलों में बैठा दिया कि यह व्यक्ति काफ़िर, धिक्कार योग्य और इस्लाम से ख़ारिज है। मैंने उन्हीं दिनों में जबकि मैं दिल्ली में ठहरा हुआ था, शहर में क़ुफ्र का व्यापक शोर देखकर एक विशेष घोषणापत्र इन्ही मियाँ साहिब को सम्बोधित करके प्रकाशित किया और कई पत्र भी लिखे और बड़ी विनीतता और विनम्रता से स्पष्ट किया कि मैं काफ़िर नहीं हूँ और ख़ुदा तआला जानता है कि मैं मुसलमान हूँ और उन सब अक़ीदों पर ईमान रखता हूँ जो अहले सुन्नत वलजमाअत मानते हैं और कलिमा तय्यबा لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ का क़ायल हूँ और क़िबला (अर्थात् क़ाबा शरीफ़) की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ता हूँ। (आसमानी फ़ैसला, रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 पृष्ठ 311 ता 312)

सम्पादकीय

"जमाअत अहमदिया पर कुफ़्र का फतवा लगाए जाने की वास्तविकता"

यह एक त्रासदी है कि मुस्लिम विद्वान न केवल आपसी मतभेदों के कारण संप्रदायों में विभाजित हो गए हैं, बल्कि प्रत्येक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को काफिर घोषित करने पर ज़ोर दे रहा है। इसके अतिरिक्त गाली-गलौज, झूठे आरोप लगाने का बाज़ार गर्म किए हुए हैं जिसे पढ़कर एक नेक इंसान शर्मिंदा हो जाए। लेकिन जब पवित्र पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भविष्यवाणियों के अनुसार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने अवतरित किया तो मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने अपने उस्ताद मियां नज़ीर हुसैन देहलवी से और फिर हिंदुस्तान के कई शहरों का दौरा कर के मौलवियों के हस्ताक्षर आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ कुफ्र के फतवे पर करवाए। और फिर ज़ुल्फिकार अली भुट्टो ने सरकारी स्तर पर अहमदिया जमाअत के लोगों को गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया। आज तक अहमदिया जमाअत के फतवे पर बिना सोचे समझे और बिना किसी ठोस सबूत के कुफ्र का फतवा लगाया जा रहा है। अत: आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने भी भारत के कानूनों को अनदेखा करते हुए ऐसी ही गलती की है। जिस पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रांतीय सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड को अहमदिया जमाअत को काफिर घोषित करने का अधिकार नहीं है।

प्रारंभ में ही विरोधियों के इस रवैये पर खेद व्यक्त करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं:-

"यह स्पष्ट हो जाए कि मियां नज़ीर हुसैन ने पूरी तरह से धर्मपरायणता और ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया। मैंने दिल्ली में तीन विज्ञापन जारी किए और अपने विज्ञापनों में बार-बार कहा कि मैं एक मुसलमान हूं और इस्लाम धर्म का पालन करता हूं। बल्कि मैं सर्वशक्तिमान ख़ुदा की क़सम खा कर संदेश पहुंचाया कि मेरे किसी भी लेख या भाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जो नऊज़ूबिल्लाह इस्लाम की आस्था के विपरीत हो। यह केवल आपत्ति करने वालों की गलतफहमी है। अन्यथा मैं इस्लाम की सभी मान्यताओं पर दिल से ईमान रखता हूं। लेकिन हज़रत मियां साहब ने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना कोई शोध और जांच किए मुझे काफिर करार दे दिया लेकिन मेरी ओर से "मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ" के स्पष्ट इक़रारों को सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे "मोमिन नहीं है" कह दिया।" (आसमानी फैसला, रूहानी खज़ाइन, खंड 4 पृष्ठ 312)

इसी फतवे लगाने के कारण आज कोई भी संप्रदाय फतवों से सुरक्षित नहीं है। ये तथाकथित विद्वान इस बात पर विचार नहीं करते कि अहमदिया जमाअत पर कुफ्र का फ़त्वा थोपने वाले विरोधियों का क्या अंजाम हुआ। अल्लाह तआला आज भी ऐसी निशानियाँ दिखाता रहता है। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अलखामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फरमाते हैं "अहमदियत के खिलाफ बड़े-बड़े फतवे दिए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी अल्लाह सबक देने का ऐसा मौका बनाता है कि इन फतवों को पाने वाले ही इन फतवों का निशाना बन जाते हैं। मिस्र की हमारी जमाअत की एक महिला जिहाद साहिबा का कहना है कि मेरे पिता मुस्लिम संगठन अख्वानुल मुस्लेमीन से जुड़े थे और उसका आँख बंद करके पालन करते थे। इसी संगठन ने मिस्र के एक अन्य संगठन दारुल इफ्ता से अहमदिया को इस्लाम से बाहर करने का फतवा

जारी किया था। मैंने प्रार्थना की कि हे अल्लाह! यदि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सच्चे हैं तो मुझे कोई निशान दिखाओ। वह कहती हैं कि उस वक्त मैं शव्वाल का रोज़ा रख रही थी और मगरिब की नमाज़ का वक्त था। मैंने मिस्र की स्थिति के बारे में समाचार सुनने के लिए टीवी चालू किया और मुझे आश्चर्य हुआ, अल-अज़हर ने अख्वानुल मुस्लेमीन को इस्लाम के दायरे से बाहर कर दिया था और उन्हें मुर्तद घोषित कर दिया था। इस पर मैंने तकबीर का नारा बुलंद किया और कहा कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वास्तव में सच्चे हैं। मिस्र में जामिआ अलअज़हर द्वारा जारी फतवे को दारु इफ्ता द्वारा जारी फतवे से अधिक महत्व दिया जाता है।" (खुतबा जुमा 12 सितंबर 2014 ई० खुत्बात-ए-मसरूर, जिल्द 12 पृष्ठ 562)

क्या तमाशा है कि मैं काफ़िर हूँ और तुम मोमिन हुए
फिर भी इस काफ़िर का हामी है वह मक़बूलों का यार

दुआ है कि अल्लाह तआला मुस्लिम उम्मत को इस कुफ़रबाज़ी से सुरक्षित रखे। आमीन

(हाफ़िज़ सय्यद रसूल नियाज़)

INDIAN AUTO
हर प्रकार की मोटर गाड़ियों के पार्टस सस्ते रेट पर खरीदें।
P. Ali Koya
CALICUT (KERALA)

"शिक्षा प्राप्त करना हर मुस्लिम पुरुष एवं स्त्री का कर्त्तव्य है"
MUSTAFA BOOK CO
All kinds of Academic Book of Kerala Board, CBSE, ISCS & Universities
Fort Road
KANNUR-1 (KERALA)
Mobile : 09895655426

SONET SOLUTIONS
PRIVATE LIMITED
No.41, II Cross, Doctors Layout,
Kasturi Nagar,
BANGALORE - 560043
तालिबे दुआ :
MUSADDIQ AHMAD
Mobile : 098451-98560
Tel : +91 (80) 41636612
Web : www.sonetsolutions.in

निवेदन सदर-ए-मज्लिस

भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से न्याय की पहल

अताउल मुजीब लोन, सदर मज्लिस अन्सारुल्लाह भारत

हिंदुस्तान के एक प्रांत में वक्फ बोर्ड द्वारा मुस्लिम संगठन के फ़तवे के आधार पर अहमदिया मुस्लिम जमाअत को गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में कारवाई की है और अहमदियों के खिलाफ इस फैसले को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है जो निश्चित रूप से एक उचित कदम है। दरअसल हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यही इस देश की खूबी है। यहां अलग-अलग धर्मों के लोग आपसी प्रेम और स्नेह से रहते हैं। और भारत के संविधान के अनुसार, हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपने आप को जिस धर्म में चाहे, रख सके। इसके बावजूद कुछ मुस्लिम संगठनों और वक्फ बोर्ड द्वारा अहमदिया मुस्लिम समुदाय को धार्मिक अधिकारों से वंचित करना देश के शांतिपूर्ण माहौल में उपद्रव उत्पन्न करने और लोगों को अहमदिया मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने और गुमराह करने का एक प्रयास है।

अहमदिया मुस्लिम समुदाय के अनुसार मुस्लिम की केवल वही परिभाषा स्वीकार्य और व्यावहारिक है जिसकी पुष्टि पवित्र क़ुरआन, पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और खुल्फ़ा-ए-राशिदीन द्वारा सिद्ध हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُ اللهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ۔ **(बुखारी, खंड 1, अध्याय फ़ज़्ल इस्तकबालुल क़िबला) अनुवाद: जो कोई भी वह नमाज़ पढ़ता है जो हम पढ़ते हैं, उस क़िबले की ओर मुंह किया जिसकी ओर हम मुंह करते हैं, और हमारा ज़िबाह किया हुआ खाया वह मुसलमान है। जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल का ज़िम्मा है। अतः अल्लाह द्वारा दिए गए ज़िम्मे में तुम धोखा न करो। (बहवाला महज़रनामा: पेज 19)**

अल्लाह तआला की कृपा से अहमदी अरकान-ए-इस्लाम और अरकान-ए-ईमान पर पूरे दिल से आस्था रखते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं :

"हमारे धर्म का सारांश और सार यह है कि لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ (ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह) हमारा विश्वास जो हम इस सांसारिक जीवन में रखते हैं जिसके साथ हम सर्वशक्तिमान ख़ुदा की कृपा

और सामर्थ्य के साथ इस दुनिया से जाएंगे वह यह है कि हज़रत सैयदना और मौलाना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खातमुन्न नबीय्यीन और ख़ैर-उल-मुर्सलीन हैं जिनके हाथों से दीन मुकम्मल हो चुका और वह नेमत मुकम्मल हो गई जिसके ज़रिए इंसान सही रास्ते पर चलकर ख़ुदा तक पहुंच सकता है। और हमारा दृढ़ विश्वास है कि पवित्र कुरआन आसमानी पुस्तकों में खातिम पुस्तक है और कोई भी शब्द अथवा बिन्दु इसके कानूनों, सीमाओं, आदेशों और आज्ञाओं से अधिक या कम नहीं हो सकता है। और अब अल्लाह की ओर से ऐसा कोई वह्यी या इल्हाम नहीं हो सकता जो कुरआन के आदेशों को संशोधित या रद्द कर सके या किसी भी नियम को बदल सके। यदि कोई ऐसा सोचता है तो वह हमारे निकट जमाअत-ए-मोमिनीन से ख़ारिज और हमारी दृष्टि में नास्तिक तथा काफ़िर है। (इज़ाला औहाम, रूहानी खज़ाइन, खंड 3 पृष्ठ 169, 170)

मौलवियों कुफ़्र के फ़तवों के कारण भी लोग अहमदिया जमाअत में शामिल हो रहे हैं, अल-जज़ाएर के एक दोस्त की कहानी सुनाते हुए हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अलखामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फरमाते हैं : "जब जमाअत के सदस्यों को सुनता तो मुझे लगता कि यही सच्ची जमात है। लेकिन मौलवियों के फतवे सुनता तो जमात पर संदेह होता। फिर किताबों और अरबी वेबसाइटों की सामग्री का अध्ययन जारी रखा जिससे सच्चाई स्पष्ट हो गई। और मुझे जलसे में आने का निमंत्रण मिला। यहां जब मैंने देखा कि अलग-अलग देशों के लोग हैं तो मैंने सोचा क्या मैं सच्चा हूं, ये सब झूठे हैं। उसके बाद, हार्दिक संतुष्टि का अनुभव हुआ और बैअत कर ली। (खुतबा जुमा: 5 जुलाई 2013)

दुआ है कि अंसारुल्लाह के सदस्य इस बात पर गहन चिंतन करें और इस्लाम अहमदियत का संदेश देने में जुट जाएं। अल्लाह हमें इस का सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन

(अताउल मुजीब लोन)
सदर मज्लिस अन्सारुल्लाह भारत

Mobile : 9572858090, 9955553631
NEW MOBILE POINT
TABASSUM FANCY STORE

Mosabi Market No. 3, East Singhbhum
JHARKHAND Pin - 832104

Mob: 9008510546
Akmal Tailor
Hill Road, Madikeri - 571201

Pants, Shirts & All Gents Wears Stitching Here

फ़तवा कुफ़्र की हक़ीक़त क़ुरआन व हदीस की रोशनी में

मुहम्मद इब्राहीम सरवर, मुरब्बी-ए-सिलसिला नज़ारत इस्लाह व इरशाद
मर्कज़िया क़ादियान

कुफ़्र के वास्तविक अर्थ छिपाने और पर्दा डालने के हैं। ऐसे शख़्स को काफ़िर इसलिए कहा जाता है कि उसने अपनी फ़ित्रत पर नादानी का पर्दा डाल लिया है। वो इस्लाम की फ़ित्रत पर पैदा हुआ है इस का सारा जिस्म और जिस्म का हर हिस्सा इस्लाम की फ़ित्रत पर काम कर रहा है। इस के गर्द-ओ-पेश सारी दुनिया इस्लाम पर चल रही है। मगर उस की अक़्ल पर पर्दा पड़ गया है। तमाम दुनिया की और ख़ुद उस की फ़ित्रत इस से छिप गई है। वह उस के ख़िलाफ़ सोचता है। इस के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करता है। इस्लामी इस्तिलाह में ईमान के विपरीत चीज़ को कुफ़्र कहते हैं और वह यह है कि अल्लाह और उसकी नेमतों का इंकार करना। और ईमान और कुफ़्र दर-हक़ीक़त ख़ुदा तआला और उसके बंदे के दरमयान का ज़ाती मुआमला है कि वह ईमान लाए या इंकार करे। लेकिन किसी बंदे को अल्लाह तआला ने यह हक़ नहीं दिया कि वो अकारण आस्थाओं, क़ौम, नसल के मतभेद के आधार पर काफ़िर क़रार देता फिरे।

मौजूदा दौर में नौजवानों में एक दूसरे को काफ़िर क़रार देने का फ़ित्ना मुस्लमान क़ौम के लिए किसी बड़े इमतिहान से कम नहीं है। जिससे मिल्लत-ए-इस्लामिया के लिए बड़े नुक़्सानदेह असरात पैदा हो रहे हैं। उनमें से ये है कि दीन इस्लाम में इस्लाम की इशाअत और इस पर अमल करना प्रभावित हो और ग़ैर मुस्लिम, इस्लाम क़बूल करने से घृणित हो जाएं। और ख़ुद मुस्लिम कहलाने वाले दीन इस्लाम से बेज़ार हो जाएं। इस के साथ मुस्लमानों के मध्य बड़े फ़सादाद वाक़्य हों और पारस्परिक सहिष्णुता और मुहब्बत का समापन हो। यही वे उद्देश्य हैं जिनके लिए दुश्मन-ए-इस्लाम अपनी ज़िंदगीयां वक़्फ़ किए हुए हैं। उनके हुसूल के लिए शदीद बेचैन हैं। और आज-कल के तथाकथित बड़े बड़े उल्मा उनके ही कठपुतली बने हुए हैं। और इस्लाम और मुसलमानों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इलमी में गिरावट के कारण अवाम की शख़्सी अक़ीदत और मज़हबी ग्रुपों से जज़्बाती वाबस्तगी ने फ़िर्कापरस्ती को बढ़ावा दिया है। दौर-ए-हाज़िर की गंदी सियासत ने तो फ़िर्का वारीयत को तशद्दुद का रंग भी दे दिया है जिसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साज़िश काम कर रही है ताकि मुस्लमान कुफ़्र का मुक़ाबला करने के लिए कभी दृढ़ता हासिल न कर सकें।

मौजूदा ज़माने में तकफ़ीर बाज़ी के

बाज़ार गर्म हैं। और विभिन्न विचार की शैक्षणिक संस्थाओं और फ़िरक़े एक दूसरे को कुछ अक़ाइद के इख़तिलाफ़ की वजह से काफ़िर और दायरा इस्लाम से ख़ारिज क़रार देते हैं। जबकि क़ुरआन-ए-करीम की वाज़िह तालीमात और बानी इस्लाम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदर्श हमारे लिए लाह-ए-अमल है।

पाठकगण! आइए इस विषय को क़ुरआन-ए-करीम और रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदेशों की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम दुनिया में अवतरित हो कर तशरीफ़ लाए तो आप ने इन्सानियत को क़यामत तक के लिए क़ायम रहने वाले अल्लाह तआला के महबूब दीन में दाख़िल होने की दावत दी जो कोई भी इस दावत को क़बूल करता आप उसे "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" पढ़ाते और यूं वो इस्लाम में दाख़िल हो जाता। हज़रत ख़दीजा अलकुबरा के इक़रार और कलमा-ए-तौहीद पढ़ लेने से शुरू होने वाला सफ़र ख़ुद आप की ज़िंदगी में ही तादाद के एतबार से लाखों में दाख़िल हो गया और कभी किसी एक के लिए भी आप की तरफ़ से कभी यह नहीं फ़रमाया गया कि मैं उसे उस की फ़ुलां कमज़ोरी या ग़फ़लत या सुस्ती की बिना पर काफ़िर या दायरा इस्लाम से ख़ारिज क़रार देता हूँ। बल्कि आप को अल्लाह तआला की तरफ़ से ऐसा करने की एक तरह से रोक थी।

अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-करीम में फ़रमाता है: قَالَتِ الۡاَعۡرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلۡ لَّمۡ تُؤۡمِنُوۡا وَلٰکِنۡ قُوۡلُوۡۤا اَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا یَدۡخُلِ الۡاِیۡمَانُ فِیۡ قُلُوۡبِکُمۡ ؕ وَاِنۡ تُطِیۡعُوا اللّٰہَ وَرَسُوۡلَہٗ لَا یَلِتۡکُمۡ مِّنۡ اَعۡمَالِکُمۡ شَیۡئًا ؕ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ (अलहुज्रात 15) यानी देहाती (बद्दू लोग) कहते हैं हम ईमान लाए तो उन्हें कह दे कि तुम अभी ईमान नहीं लाए लेकिन ये कहा करो कि हमने इस्लाम क़बूल कर लिया है (क्योंकि) अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाख़िल नहीं हुआ। इस आयत से ये बात ख़ूब वाज़िह होती है कि अल्लाह तआला जो दिलों के भेद जानता है और कोई चीज़ भी इस के इलम से बाहर नहीं, वो इन बद्दूओं की दिली कैफ़यात के बारे में रसूल-ए-ख़ुदा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को आगाह कर रहा है कि अभी ईमान उनके दिलों में दाख़िल नहीं हुआ, फिर भी ख़ुदाए अज़्ज़ो वजल रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि उन्हें इजाज़त दे दें कि वे ये कह लें कि उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया है या वो इस्लाम ले आए हैं। यानी बावजूद इस के कि ख़ुद ख़ुदाए अलीम-ओ-ख़बीर की गवाही आ गई कि ईमान अभी उनके दिलों में नहीं उतरा, आप को ख़ुदा तआला की तरफ़ से ये इजाज़त नहीं मिली कि आप उन्हें ख़ारिज अज़ इस्लाम क़रार दें।

एक और जगह क़ुरआन-ए-करीम में

अल्लाह तआला का हुक्म आया है कि وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (अन्निसा- 95) और जो कोई भी तुम्हें सलाम पेश करे उसे (आगे) से ये न कहो कि तो तू मोमिन नहीं है।

सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस आयत के हवाले से फ़रमाते हैं:-

''क़ुरआन शरीफ़ ने तो नुक्ता-चीनी करने से भी मना फ़रमाया है कि ذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ (अन्निसा-95) यानी तुम भी तो ऐसे ही थे ख़ुदा ने तुम पर एहसान किया है।''(अलहकम जिल्द 12 नंबर 26-30 अप्रैल 1908 सफ़ा नंबर 2)

अत: सपष्ट हुआ कि ईमान एक शख़्स के दिल का मुआमला है और यह उस के और इस के ख़ालिक़-ओ-मालिक के साथ मुआमला है। सुस्त है कमज़ोर है या ईमान के आला मुक़ाम पर फ़ाइज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही वाक़िफ़ है। इस्लाम किसी को ये इख़तियार हरगिज़ नहीं देता कि किसी को कोई दायरा इस्लाम से ख़ारिज क़रार दे। जहां यह कि इस का समाजी बाइकाट किया जाए। क्योंकि अल्लाह तआला का यह एहसान है कि किसी को अल्लाह तआला ने ईमान की नेअमत से नवाज़ा है। इस एहसान से इन्सान को अल्लाह का शुक्र गुज़ार बनना चाहिए न किसी दूसरे को इस्लाम और दायरा इस्लाम से ख़ारिज होने या नऊज़ुबिल्लाह वाजिब उल-क़तल क़रार दिया जाए।

इस आयत का शान-ए-नुज़ूल :

मौलाना महमूदुल हसन और अल्लामा शब्बीर अहमद उसमानी इस आयत की तफ़सीर और शान-ए-नुज़ूल बयान करते हुए तहरीर करते हैं:''हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज को एक क़ौम पर जिहाद के लिए भेजा। इस क़ौम में एक शख़्स ''मुस्लमान' था जो अपना माल-ओ-अस्बाब और मवेशी उनमें से निकाल कर अलैहदा खड़ा हो गया था। उसने मुस्लमानों को देख कर ''अस्सलामु अलैकुम कहा। मुस्लमानों ने ये समझा कि ये भी काफ़िर है, अपनी जान और माल बचाने की ग़रज़ से उसने अपने आपको मुस्लमान ज़ाहिर किया। इस लिए इस को मार डाला। और इस के मवेशी और अस्बाब ले लिया। इस पर यह आयत नाज़िल हुई और मुस्लमानों को चेतावनी और ताकीद फ़रमाई गई कि जब तुम जिहाद करने के लिए सफ़र करो तो तहक़ीक़ से काम लो। बे सोचे समझे काम मत करो। जो तुम्हारे सामने इस्लाम ज़ाहिर करे उस के मुस्लमान होने का हरगिज़ इनकार मत करो। अल्लाह के पास बहुत ग़नीमतें हैं। ऐसे हक़ीर सामान पर नज़र न करनी चाहीए।''(क़ुरआन मुतर्जिम-ओ-मुहश्शा अज़ शेख़ उल-हिंद मौलाना महमूदुल हसन व अल्लामा शब्बीर उसमानी)

शेष भाग................................